न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम कंकोलिया तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2017

अनवान

श्री नवनीत जोशी पिता जगदीश प्रसाद जोशी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा

.... वादी

बनाम

1– लुम्बा पिता छोटू गुर्जर निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

2– गोपाल पिता लादु गुर्जर निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

3– राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 .....

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– वादी अधिवक्ता
प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.05.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके जोरावरपुरा प0क्षैत्र कंकोलिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 91/1, रकबा 01–05 बीघा, आराजी संख्या 95/2 रकबा 2–00 बीघा भूमि वादी नवनीत जोशी पिता जगदीश प्रसाद जोशी के नाम से ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 02 से दिनांक 25.01.2017 को क्रय किया। जिसके पश्चात खुले नामान्तकरण संख्या दिनांक से राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश राजस्व नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 95/1 के स्थान पर 95/2 अंकित कर दिया गया है। जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हुई त्रूटी को वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है।
अतः वादपत्र की कलम संख्या 01 वर्णित वादग्रस्त आराजीयात संख्या 95/2 रकबा 0–15 बीघा व 95/1 रकबा 2–00 बीघा के बजाय आराजीयात संख्या 95/2 रकबा 2–00 बीघा व 95/1 रकबा 0–15 बीघा को राजस्व नक्शा ट्रेस में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम ~~बल्दरखा~~ कंकोलिया में प्राप्त किया जाकर पंजीबद्ध किया कर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 दौराने लोक अदालत केम्प में उपस्थित होकर वादी के वादपत्र को स्वीकार किये जाने हेतु अपनी और से सहमति व्यक्त करते हुए पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरार्थ राजीनाम प्रपत्र प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 03 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा वक्त केम्प उपस्थित होकर स्वयं को ओपचारिक पक्षकार होना व्यक्त किया । केम्प के दौरान विपक्षी संख्या 1 लुम्बा पिता छोटू गुर्जर निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेडा व विपक्षी

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.

संख्या 02 गोपाल पिता लादु गुर्जर निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेडा के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पर बयान कलमबद्ध किये जाकर कमशः डी0डब्ल्यू 01 व डी0डब्ल्यू 02 अंकित कर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत राजीनामा प्रपत्र पर अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव प्रस्तुत शपथपत्र पर लिए गये कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र विपक्षीगणो की सहमति से तथा मौका रिपोर्ट जरिये राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा से यह प्रमाणित होता है कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात संख्या 95/2 रकबा 2–00 बीघा व 95/1 रकबा 0–15 बीघा को राजस्व नक्शा ट्रेस में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित है। लिहाजा वादी का वाद पत्र सहमती से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके जोरावरपुरा पटवार हल्का क्षैत्र कंकोलिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजीयात संख्या 95/2 रकबा 0–15 बीघा व 95/1 रकबा 2–00 बीघा के बजाय आराजीयात संख्या 95/2 रकबा 2–00 बीघा व 95/1 रकबा 0–15 बीघा को राजस्व नक्शा ट्रेस में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम कंकालिया में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम कंकोलिया तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेष 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2017

अनवान

श्री नवनीत जोशी पिता जगदीश प्रसाद जोशी निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा
.... **वादी**

बनाम

1– लुम्बा पिता छोटू गुर्जर निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2– गोपाल पिता लादु गुर्जर निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3– राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 .....
प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– वादी अधिवक्ता
प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3

वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी राजीनामें से मंजूर किया जाता है। वादपत्र डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती हैं कि जोरावरपुरा पटवार हल्का क्षैत्र कंकोलिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 95/2 रकबा 0–15 बीघा व 95/1 रकबा 2–00 बीघा के बजाय आराजीयात संख्या 95/2 रकबा 2–00 बीघा व 95/1 रकबा 0–15 बीघा को राजस्व नक्शा ट्रेस में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 11.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम कंकोलिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा